

प्रकारों वा
आवृत्ति
अभियान

(42) (168)

न्यायालय : माननीय राजस्व अंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा, मध्य.

श्री मनोज रिपोर्टर
दाया पंजा | 3.10.13
2121



R - 4369 - 11113

राम प्रसाद उर्फ रामविश्वाने तन्य रिचक्ष चमार निवासी ग्राम अमलोरी,
तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य.

-----निगराकार

591

3.10.13

बनाए

01- शासन मध्य

02- लगनधारी पिता छोटक राम भाट सा० तेलाई तह० सिंगरौली

03- कुमुम कुमारी नावा०। जरिये पिता बृजेन्द्र प्रसाद दुवे, सा० कुमाहरा तह०
सिंगरौली, मध्य.

04- बृजेन्द्र प्रसाद दुवे पिता रामरेखाराम दुवे सा० कुमाहरा तह० सिंगरौली

05- संजीव कुमार सिंह पिता सुरेन्द्र बहादुर सिंह सा० साजापुर

06- श्रीमती रमा सिंह पति अर्णु सिंह बघेल सा० बेदन

07- जगदीश्वर सिंह तनयरघुराज सिंह सा० डिंग्धी तह० सिंगरौली,

08- बृजेन्द्र कुमार सिंह पिता अर्जुन सिंह क्षत्री सा० डिंग्धी तह० सिंगरौली

09- उपेन्द्र कुमार सिंह पिता अर्जुन सिंह क्षत्री, सा० डिंग्धी तह० सिंगरौली.

10- शेखधारी पिता छविलाल चमार सा० नौगढ, तह० सिंगरौली.

----- अनावेदकगण.

निगरानी विल्द आदेश न्यायालय क्लेक्टर जिला

सिंगरौली, जो पुङ्को 5/निग./2012-13 में

दिनांक 05.08.013 को पारित किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यूरा 1959

(42)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश राजियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

समांक क्रमांक R4369-II-13

जिला-रीवा

शमघटाएवं अन्नाम् विरुद्ध शोषण, लगाधारी

(1)

(2)

(3)

15-1-19

1. आवेदक की ओर से श्री...मनोज..तिवारी.....अधिवक्ता
द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अम्र कलेक्टर, जिला...रीवा
के प्रकरण क्रमांक...०५/क्रमा.१.२.१३.....में पारित
आदेश दिनांक...०५-०९-२०१३....के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी
है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये
संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की
धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई
हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को
अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक...२४-३-१९.....को
कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु
उपस्थित हो।

सदस्य